

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

1341
A

// विविध आदेश //

क्रमांक 169 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 19/06/2025

आरक्षी केंद्र नईगढ़ी के अपराध क्रमांक-18/2019 से उद्भूत काउण्टर प्रकरण विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज रीवा की न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सुश्री ओशी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मउगंज द्वारा पत्र क्रमांक-126 दिनांक-12.06.2025 के माध्यम से प्रेषित दांडिक प्रकरण क्रमांक-आर0सीटी0 298/2019 अंतर्गत धारा-294,323 (3 काउण्ट), 506,34 भा0दं0वि0 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दांडिक प्रकरण क्रमांक-आर0सीटी0 298/2019 म0प्र0 शासन वि0 समावतार साकेत वगै0 को विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

SW
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 3033 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 19/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज रीवा
2. सुश्री ओशी जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउगंज
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)